छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमाँक / 3019 / गोपनीय / 2022 रायपुर, दिनाँक 07/01/2022

प्रति,

समस्त प्राचार्य
मान्यता प्राप्त संस्थायें,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छत्तीसगढ़।

नियमित छात्रो के प्रायोगिक परीक्षा हेतु अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्देश

विषय :– कोविड–19 महामारी के मद्देनजर कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा वर्ष 2022 में सम्मिलित नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य संपन्न कराने संबंधी अतिरिक्त निर्देश।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक / 2491 / गोपनीय / 2021 रायपुर, दिनॉक 03.12.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 में नियमित रुप से सम्मिलित होने वाले छात्र / छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य संबंधित संस्था पर दिनॉक 10.01.2022 से 31.01.2022 के मध्य संपन्न कराये जाने के निर्देश समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को जारी किये गये है।

राज्य में कोविड–19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य निर्धारित तिथि में ही संपन्न किये जाने हेतु अतिरिक्त निर्देश जारी किये जा रहे है, इस हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त की जाती है।
2. आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समयावधि में संबंधित संस्था स्तर पर ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर सुविधा अनुसार एक दिन में उतने ही छात्रों को बुलाकर, कोविंड–19 के नियमों का पालन करते हुये प्रायोगिक परीक्षा / प्रायोजना कार्य आयोजित किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेंशिंग का पालन हो सके।
3. कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सभी अधिकारी / कर्मचारी एवं शाला के छात्रो द्वारा सोशल डिस्टेंशिंग का पालन किया जावे एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है।
4. कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु केन्द्र / राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. शाला को सेनेटाइज्ड कराया जाये तथा शाला के मुख्य द्वार पर छात्रो के हाथ सेनेटाइज किये जाये।
6. जिन जिलो में कोविंड–19 संक्रमण के कारण कलेक्टर के आदेश के द्वारा स्कूल को बंद किया गया है उन जिलो में प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करने हेतु दिनांक 31.01.2022 तक की तिथि को शिथिल करते हुये उसके बाद भी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है इसके लिये संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करके प्रायोगिक परीक्षाऐं आयोजित करायेंगे।
7. शेष निर्देश मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमॉक / 2491 / गोपनीय / 2021 रायपुर, दिनॉक 03.12.2021 के अनुसार यथावत रहेंगे।

(प्रोफेसर व्ही0के0 गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2021.Docx105

पृ. क्रमांक / 3020 / गोपनीय / 2022 रायपुर, दिनांक 07 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः—

1. अध्यक्ष महोदय / सचिव के निज सचिव छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर,
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़,
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर छत्तीसगढ़,
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर,
6. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, छत्तीसगढ़,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग छत्तीसगढ़,
9. वित्ताधिकारी, छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक सचिव, संभागीय अधिकारी छ.ग.मा.शि.मं. राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त प्राचार्य, समन्वय संस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. प्रोग्रामर डाटा, छ0ग0मा0शि0मण्डल रायपुर को मण्डल वेबसाईट में अपलोड हेतु सूचनार्थ हेतु प्रेषित्।

7/1/22

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

E:\Prayogik Letter Ram.Cgbse2021.Docx106